रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022025-261156 CG-DL-E-19022025-261156

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132] No. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसुचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी 2025

फा.सं. एसएस-टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई - खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करना चाहती है, इन विनियमों के प्रारूप से प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।


1254 GI/2025 (1)

प्रारूप विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिन्हें एतद्पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा, :
 - (1) विनियम 5 में, पोषण सूचना से संबंधित उप विनियम (3) में, खंड (ख) में, उप खंड (ii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, -
 - "(ii)(क) योजित शर्करा, सैचुरेटेड वसा और सोडियम तत्वों के संबंध में आकलित अनुशंसित आहारमान (आरडीए) में प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंश की जानकारी अपेक्षाकृत बढ़े हुए फ़ॉन्ट आकार के साथ मोटे अक्षरों में दी जानी चाहिए।"
 - (2) अनुसूची I में, पैरा (2) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1 के तहत उप-विनियम 2.1.1 के खंड 5 (क) के अनुसार मिश्रित दुग्ध उत्पादों सहित सभी दूध और दुग्ध उत्पादों पर नीचे दिया गया निर्दिष्ट लोगो होना चाहिए:



लोगो से संबंधित विनिर्देश:



क्रम <u></u>	सेंटीमीटर वर्गाकार में	क	ख	ग
सं.	प्रमुख प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र	mm में वर्ग के प्रत्येक पक्ष का न्यूनतम आकार	mm में बूंद की ऊंचाई का न्यूनतम आकार	mm में बूंद की चौड़ाई का न्यूनतम आकार
1.	100 तक	6	4.56	3
2.	100 से 500 तक	8	6.08	4
3.	500 से 2500 तक	12	9.12	6
4.	2500 से अधिक	16	12.16	8

(3) अनुसूची II में, पैरा (2), कॉफी- कासनी मिश्रण से संबंधित उप-पैरा 2.2 के, खंड (2) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"बशेर्ते कि उप पैरा 2.2 के खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट घोषणाएं पैकेज के अग्र भाग में एक आयताकार बॉक्स के भीतर बड़े अक्षरों में प्रमुख प्रदर्शन पैनल पर प्रदर्शित की जाएंगी ।"

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./989/2024-25]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.संख्या 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी (लेबलिंग)/2014 (भाग-2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या फा. स्टैंडर्ड्स/ एस पी – 08/ ए-1-2020/ एन -01 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 द्वारा इनमें अंतिमित संशोधन किया गया था।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2025


F.No. SS-T017/1/2023-Standard-FSSAI- The following draft of certain regulations to further amend the Food Safety and Standards (Labelling & Display) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

- 1. **Short title and commencement** These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2025.
- 2. In the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 (hereafter referred to as said regulations), -
- (1) In regulation 5, sub regulation (3) relating to Nutrition information, in clause (b), after sub clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(ii)(a) The information regarding per serve percentage (%) contribution to Recommended Dietary Allowance (RDA) be given in bold letters with relatively increased font size for added sugar, saturated fat and sodium content."
- (2) In schedule I, after para (2), the following shall be inserted, namely:-
 - "(3) All milk and milk products, including composite milk products, as per clause 5(a) of subregulation 2.1.1 under regulation 2.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 shall carry the logo as specified below:




Specifications of logo:





C:89 M:58 Y:0 K:0



S No.	Area of Principal	A	В	C
	display panel in cm. square	Minimum Size of each side of square in mm	Minimum size of height of drop in mm	Minimum size of width of drop in mm
1.	Upto 100	6	4.56	3
2.	Upto 100 to 500	8	6.08	4
3.	Upto 500 to 2500	12	9.12	6
4.	Above 2500	16	12.16	8

(3) In Schedule-II, para (2), sub para 2.2 relating to Coffee-Chicory Mixture, after clause (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that declarations specified in the clause (1) and (2) of the sub para 2.2 shall be displayed on front of the package, in capital letters within a rectangular box on the principal display Panel".

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./989/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary part III, section 4, *vide* notification number F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014(Pt-2), dated the 17th November, 2020 and last amended *vide* notification number, F. No. Std/SP-08/A-1-2020/N-01, dated the 11th October, 2022.